



2026:AHC:64911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1686 / 2026

बिबिलाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अवनीश कुमार, लक्ष्मीकांत सिंह, नरेंद्र सिंह
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	अक्षय कुमार शुक्ला, दीक्षा गुप्ता, जी.ए., रवींद्र पाल सिंह कश्यप

न्यायालय संख्या - 65

(क्रम संख्या 82/372)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची की पुनः पुकार की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार शुक्ला, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीक्षा गुप्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया।
3. आवेदक **मुकदमा अपराध संख्या 316/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस** और **धारा 3/4(2) पॉस्को अधिनियम, पुलिस स्टेशन - कादर चौक, जिला - बदायूं** में विचारण लंबित के दौरान जमानत की मांग गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में लगाए गए आरोप से उसका कोई संबंध नहीं है। एफआईआर दर्ज करने में लगभग एक दिन का बिलंब है और इस बिलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार है, जैसा कि अंतर्गत धारा 183 बीएनएसएस में दर्ज उसके बयान से स्पष्ट है, जिसमें उसने कहा है कि आवेदक ने उसे धोखा दिया था। पीड़िता देखने में बालिग लगती है, हालांकि अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आलोक में आवेदक को ऊपरी सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है। आगे यह भी प्रस्तुत गया कि पीड़िता ने अपनी आंतरिक चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है, इसलिए घटना का कोई चिकित्सीय पुष्टि नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक 10.11.2025 से जेल/कारागार में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों और इस तथ्य का खंडन करने में असमर्थ हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. पीड़िता की आयु के संबंध में, *जया माला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1982) 2 एससीसी 538 और मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (2011) 10 एससीसी 192* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में आवेदक को ऊपरी सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है, जिसमें यह राय दी गई है कि रेडियोलॉजिस्ट जन्म

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तिथि का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है, बल्कि इसमें 1 से 2 वर्ष का किसी भी तरफ लंबा अंतर हो सकता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी तथा अंतर्गत धारा 183 बीएनएसएस में दर्ज पीड़िता के बयान, जो उसकी सहमति को दर्शाता है, तथा घटना की कोई चिकित्सीय पुष्टि न होने के बावजूद, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला प्रतीत होता है। जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

10. आवेदक- **बिबिलाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर इस शर्त के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षियों को डराएगा नहीं और आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी। इसमें दिए गए टिप्पणियों का विचारण के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

मार्च 28, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।